मौसम

तापमान	गाजियाबाद	कानपुर	वाराणसी	झांसी
अधिकतम	36.0	35.0	36.2	34.4
न्यूनतम	26.0	26.0	25.4	27.1

प्रतिमा विसर्जन करने गए सात की डूब कर मौत

गोरखपुर/उन्नाव, 9 सितंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर एवं उन्नाव जिले में पूजा सामग्री तथा प्रतिमा विसर्जन करने गए छह बच्चों एवं एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। गोरखपुर पुलिस ने बताया कि पड़ोसी संतकबीरनगर जिले के मोहम्मदपुर कठार गांव के पास शुक्रवार को पूजा सामग्री का विसर्जन करने गए चार बच्चे आमी नदी में डूबने से मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार खलीलाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर कठार गांव स्थित वीरेंद्र कुमार के घर पूजा का कार्यक्रम था, जिसमें उनके रिश्तेदार गोरखपुर जिले के बांसगांव निवासी दिनेश कुमार तीन बच्चों और पत्नी के साथ वहां पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को वीरेंद्र कुमार की पत्नी बेटे अजीत (10) और दिनेश की बेटियों रुबी (8), दीपाली (11) और पपुहिया (6) के साथ पूजा सामग्री विसर्जित करने नदी पर गई। उन्होंने बताया पूजा सामग्री के विसर्जन के समय चारों बच्चे भी नदी में चले गए और तेज बहाव में बह गए, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक सोनम कुमार ने बताया कि चारों बच्चों के शव बरामद हो गए और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस बीच, पुलिस ने बताया कि उन्नाव के सफीपुर कोतवाली इलाके में गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने गए एक युवक और दो किशोरों की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई जबकि दो अन्य को बचा लिया गया।

पुलिस के अनुसार सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में परियर गंगा तट पर गणेश प्रतिमा विसर्जन करने ग्रामीणों के साथ गए माखी गांव के पांच किशोर गंगा स्नान करते समय गहराई में डूब गए। उन्होंने बताया कि गोताखोरों ने पांचों को बाहर निकाला जिनमें लवकेश सिंह (18) और प्रशांत सिंह (16) की मौत हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि गंभीर स्थिति में विशाल (15) को कानपुर के हैलट अस्पताल में भेजा गया जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई।

बरेली विकास प्राधिकरण ने 60 अवैध मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया

बरेली, 9 सितंबर (जनसत्ता)।

बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने चंदपुर बिचपुरी गांव में बुलडोजर चलवाकर 60 मकानों को ध्वस्त करा दिया है। बीडीए की कार्रवाई के विरोध में लोगों ने पथराव किया जिससे बीडीए के दो कर्मचारी जख्मी हो गए। बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद पुलिस और पीएसी ने पथराव कर रहे लोगों को खदेड़कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी कराई है। बीडीए के सचिव योगेन्द्र कुमार ने बताया कि अभियान में बीडीए की लगभग 15 हजार वर्ग मीटर भूमि से अवैध कब्जे हटाए गए है। उन्होंने यह भी कहा कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि का मूल्य लगभग 75 करोड़ रूपए है।

बरेली विकास प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक चंदपुर बिचपुरी गांव की जमीन का रामगंगा नगर आवासीय परियोजना के लिए कई वर्ष पूर्व अधिग्रहण किया जा चुका है। लेकिन भूस्वामियों ने अवैध रूप से भूमि का अन्य लोगों को भी विक्रय कर दिया। जिसकी वजह से यहां लोगों ने 60 पक्के मकान बना लिए थे। इनमें से ज्यादातर मकान दो मंजिला और तीन मंजिला थे।

इस तरह बीडीए की जमीन पर अवैध रूप से बने भवनों के मालिकों को कई बार नोटिस जारी कर जमीन को कब्जामुक्त करने के लिए कहा गया। लेकिन लोगों ने इसे गंभीरता से नही लिया जिसकी वजह से पुलिस और पीएसी को बड़ी तादाद में बुलाकर गुरूवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण के सचिव योगेन्द्र कुमार ने यह भी बताया कि बीडीए की अधिग्रहित भूमि पर अवैध रूप से भवन बनाकर रहे रहे लोगों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हे रियायती दर पर बीडीए की आवासीय परियोजना में 10 साल की किस्तों पर भूखण्ड आबंटित करने की पेशकश भी की गई थी। लेकिन जिन लोगों ने बीडीए की इस पेशकश को स्वीकार नही किया, उनके भवनों को जबरन बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करवाया गया है।

प्रसव खर्च न दे पाने के कारण अस्पताल ने बच्ची बेच दी

शाहजहांपुर, 9 सितंबर (जनसत्ता)।

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक निजी अस्पताल के संचालक ने एक महिला के प्रसव की फीस न दे पाने के कारण कथित तौर पर उसकी नवजात बच्ची को दूसरे धर्म के एक व्यक्ति को बेचकर इसकी भरपाई कर ली। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बाद में मामले के तूल पकड़ने के बाद बच्ची को उसके माता-पिता को वापस कर दिया गया है, जबकि इस प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज कर अस्पताल को सील कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने शुक्रवार को बताया कि थाना निगोही अंतर्गत त्रिलोकपुर गांव में रहने वाले रमाकांत की पत्नी संगीता को प्रसव पीड़ा के बाद स्थानीय नवजीवन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार रात में उसने एक बच्ची को जन्म दिया।

कुमार के अनुसार, आरोप है कि अस्पताल संचालक ने दूसरे दिन संगीता से यह कहते हुए बच्ची ले ली कि तुम इसका पालन-पोषण कैसे कर पाओगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल संचालक ने संगीता से यह भी कहा कि नवजात को लेकर तुम्हारी छह बेटियां हो गईं, ऐसी स्थिति में तुम अस्पताल की फीस भी नहीं भर पाओगी। इसके बाद अस्पताल संचालक ने एक मुस्लिम दंपती को बुलाकर बच्ची को उसे सौंप दिया तथा उससे अपने अस्पताल की फीस वसूल ली।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) स्थानीय नेता राजेश अवस्थी को जब घटना की जानकारी मिली तो वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ निगोही पहुंच गए तथा गुरुवार शाम को अस्पताल के सामने डाक्टर का पुतला फूंका एवं मामले की जानकारी अधिकारियों को दी।

इस बीच, मामले ने जब तूल पकड़ा तो मुस्लिम दंपती ने बच्ची को अस्पताल संचालक को वापस कर दिया। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके गौतम ने बताया कि जब उन्हें मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. रोहतास के साथ एक दल को निगोही भेजा। उन्होंने बताया कि अस्पताल का पंजीकरण न होने के कारण उसे जांच दल द्वारा सील कर दिया गया है, जबकि अस्पताल का संचालक फरार हो चुका है। गौतम के अनुसार, पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है, जो जांच करके रिपोर्ट देगी। पुलिस ने अस्पताल संचालक डॉ अशोक राठौर के विरुद्ध गुरुवार देर रात मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी घटना के बाद से फरार है, जिसे पुलिस तलाश कर रही है।

औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाली जहरीली गैस से छह स्कूली बच्चे हुए बेहोश

बुलंदशहर, 9 सितंबर (जनसत्ता)।

सिकंद्राबाद विकास खंड के अंतर्गत गोपालपुर गांव के संविलियन विधालय में शुक्रवार को 6 बच्चे बेहोश हो गए। हादसे की खबर सुनकर सिकंद्राबाद के उपजिलाधिकारी मौके पर पहुंच गए। बताया गया है कि स्कूल के पास औधोगिक क्षेत्र होने की वजह से जहरीली गैस की वजह से बच्चे बेहोश हुए थे। मौके पर पहुंचे डाक्टरों ने बच्चों की स्वास्थ्य जांच की।

विधालय की इंचार्ज सीमा वर्मा ने आरोप लगाया कि विद्यालय के पास आसपास औधोगिक क्षेत्र है। उससे जहरीली गैस निकलने की वजह से 6 बच्चे बेहोश हो गए। उन्होंने बताया हफ्ते भर पहले भी सुबह की प्रार्थना में एक दो बच्चे बेहोश हुए थे। तब लगा था कि घर से खाना न खाकर आने की वजह से बच्चे बेहोश हुए हैं लेकिन शुक्रवार को जब ज्यादा बच्चे बेहोश हुए तब इसपर ज्यादा ध्यान दिया।

जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया शुक्रवार सुबह प्रार्थना के दौरान कुछ बच्चों के बेहोश होने की शिकायत मिली थी।

कार्यालय ग्रा.पं., गुरथना, वि.खं. कांट, शाहजहांपुर

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

समस्त जीएसटी में पंजीकृत फर्मों को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत गुरथना, विकास खण्ड कांट, शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्न निर्माण कार्य हेतु आवश्यक सामग्री ईंट, मौरंग, बजरी, सरिया, सीमेन्ट, रोड़ी, रेता, टाइल्स, एंगल, पाइप आदि की आवश्यकता है। निर्माण सामग्री की आपूर्ति कार्य स्थल पर करने हेतु निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय पर दिनांक 12.09.2022 को दोपहर 3 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दिनांक 13.09.2022 को 4 बजे खोली जायेंगी।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनु. लागत 3,44,000	योजना का नाम	अभ्युक्ति
1	पंचायत भवन परिसर में बाउण्ड्रीबाल निर्माण। 100 मी.		राज्य वित्त/ केन्द्रीय वित्त आयोग	मात्रा एवं सामग्री की पूर्ण जानकारी ग्रा.पं. कार्यालय से सम्पर्क कर ली जा सकती है। जिसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है।

कंचन यादव, ग्राम प्रधान **दीक्षा श्रीवास्तव, सचिव**

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3 (1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत। उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, आईआईएफएल होम फाइनेंस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें अर्थात् कि सूचनाओं में ऋणकर्ता(ओं) को उन्हें निर्गत संबंधित मांग सूचना(ओं) में अंकित राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा ऋणकर्ता(ओं) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि यहां इसमें निम्न उल्लेखित धनराशियों का, मांग सूचना की तिथि(यों) से लेकर के भुगतान की तिथि तक आकलित भावी ब्याज के साथ, इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवसों के अंदर भुगतान करें। ऋणकर्ता(ओं), मांग सूचना की तिथि के अनुसार देयराशि तथा ऋण राशि के प्रतिभुगतान के प्रति प्रस्तावित प्रतिभूति के विवरण निम्नानुसार हैं:-

ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
अस्मा बानो, मोह. आसिफ जायना गार्मेंट्स (प्रोस्पेक्ट नं. आईएल10089003)	06 सितंबर 2022 रु. 17,86,789/- (रुपए सत्रह लाख छियासी हजार सात सौ नवासी मात्र)	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश इस प्रकार हैः मकान सं. 435/427/440, खसरा सं. 454 व 445, क्षेत्राधिमापन 696 वर्ग फुट, करीमगंज, पसंदबाग, गदीपीर खान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, 226001

यदि उक्त ऋणकर्तागण उपर्युक्तानुसार आईआईएफएल एचएफएल को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो आईआईएफएल एचएफएल संपूर्ण रूप में ऋणकर्ताओं के जोखिमों, लागतों एवं परिणामों पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा यथालागू नियमावली के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। अन्य विवरणों के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से शाखा कार्यालय में संपर्क करें: शाखा कार्यालयः 1017, दसवां तल, साइबर हाइट्स, टीसी 2/2 एवं टीसी 5/5, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 तथा/अथवा निगमित कार्यालयः आईआईएफएल टॉवर, भूखण्ड सं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा।

स्थानः लखनऊ दिनांकः 10.09.2022 **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

कार्यालय ग्रा.पं. जाजलपुर, वि.खं. कांट, शाहजहांपुर

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

समस्त जीएसटी में पंजीकृत फर्मों को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत जाजलपुर, विकास खण्ड कांट, शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्न निर्माण कार्य हेतु आवश्यक सामग्री ईंट, मौरंग, बजरी, सरिया, सीमेन्ट, रोड़ी, रेता, टाइल्स, एंगल, पाइप आदि की आवश्यकता है। निर्माण सामग्री की आपूर्ति कार्य स्थल पर करने हेतु निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय पर दिनांक 12.09.2022 को दोपहर 3 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दिनांक 13.09.2022 को 4 बजे खोली जायेंगी।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनु. लागत	योजना का नाम	अभ्युक्ति
1	अलीशेर के मकान से रामसुधार के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण। 80X3 मी.	3.50 लाख	मनरेगा कार्य	मात्रा एवं सामग्री की पूर्ण जानकारी ग्रा.पं. कार्यालय से सम्पर्क कर ली जा सकती है। जिसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है।
2	विनोद के मकान से कोटेदार के मकान तक आर.सी.सी.व नाली निर्माण। 50 मी.	1.40 लाख	ग्राम निधि	

श्याम कुमार, ग्राम प्रधान **सुरभि गौर, सचिव**

एक फुंका हुआ कारतूस

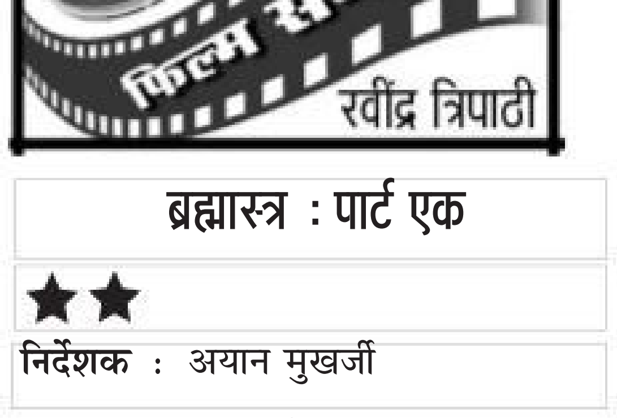

ब्रह्मास्त्र : पार्ट एक

★★

निर्देशक : अयान मुखर्जी

कलाकार : रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, नागार्जुन, मौनी राय

लगभग दस साल में चार सौ करोड़ से ज्यादा पैसे लगाकर बनी फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' के पर्दे पर आने के पहले बड़ा शोरगुल था कि ये धमाकेदार होगी। लेकिन धमाका नहीं हुआ और ये उस कारतूस की तरह हो गई है जो पहले ही फुंक गया है। साफ है कि निर्देशक को पता नहीं है कि भारतीय परंपरा में ब्रह्मास्त्र या आग्नेयास्त्र के पीछे क्या सोच है। लगता है कि निर्देशक ने इंटरनेट से भारतीय पुराणों की जानकारी ली और कुछ हालीवुड की फिल्मों के आधार पर एक फिल्म बना डाली। फिल्म देखने के बाद इतना तो बेशक कहा जा सकता है कि अयान मुखर्जी को इतना नहीं मालूम कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसके टुकड़े नहीं होते जबकि फिल्म में ये बताया गया है कि इसके बहुत पहले तीन टुकड़े हो चुके हैं। मुखर्जी जी, कहां से इतना बड़ा ज्ञान पाया है?

बहरहाल रणबीर कपूर ने इसमें शिवा नाम के ऐसे युवा का किरदार निभाया है जो दिल्ली में रहता है, अनाथ है और जो आग से जलता नहीं है। उसे इशा यानी आलिया भट्ट से प्रेम हो जाता है। दोनों को इंटरनेट के माध्यम से खबर मिलती है कि साइनटिस्ट यानी शाहरूख खान की हत्या हो चुकी है और अब आर्टिस्ट यानी नागार्जुन की जान खतरे में है। दोनों उसे बचाने निकलते हैं और गुरु जी यानी अमिताभ बच्चन के पास जाने के लिए कार से हिमालय के लिए यात्रा करते हैं। क्या होगा आर्टिस्ट का और गुरु जी क्या बताने वाले हैं यही इस फिल्म के बाकी हिस्से में है। वैसे 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया' वाली कहावत के मुताबिक गुरु जी को भी अंत में पता चलता है कि प्यार ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। फिल्म में कुछ गाने अच्छे हैं। कुछ भागमभाग वाले दृश्य भी। रणवीर भी अच्छे लगे हैं और आलिया भी। पर शाहरूख को बंदर जैसा क्यों बनाया गया है इसे समझने के लिये कोई लालबुझक्कड ही चाहिए। जुनून के किरदार के रूप में मौनी राय लाल लाल आंखों के साथ ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े को क्यों छिनना चाहती हैं ये भी पता नहीं चलता और ये भी कि वो ब्रह्म देव कौन हैं जिसके लिए वो काम कर रही हैं और गदर मचाए हुए हैं व लोगों की हत्याएं कर रही है।

PTC INDUSTRIES

सीआईएन : L27109UP1963PLC002931

पंजीकृत कार्यालय : एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड टेक्नोलाजी सेंटर, एनएच-25ए,
सराय सहजादी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-227101, भारत
दूरभाष : +91 522 7111017, फैक्स : +91522 7111020, वेब : www.ptcil.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 2/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 तथा साधारण सर्क्युलर नं. 2/2022 तिथि 5.5.2022 (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा सेबी (सामूहिक रूप से 'प्रासंगिक परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एजीएम बुलाने के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय के लेन-देन के लिए पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 59वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') के माध्यम से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को 03:00 बजे अप. में आयोजित की जाएगी। सदस्य सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे ।

उसमें निष्पादित होने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों से युक्त सभा की सूचना के साथ 31मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय विवरण, ऑडिटर की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजा जा चुका है जिनका ईमेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.ptcil.com, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 तथा सैबी (एलओडीआर) 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में यह कम्पनी 59 वीं वार्षिक आम सभा में निष्पादित होने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिये कम्पनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कम्पनी ने सीडीएसएल की ई-वोटिंग प्रणाली की व्यवस्था की है।

केवल ऐसे सदस्य ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ आम सभा में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिये योग्य होंगे जिनका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे, यदि कोई व्यक्ति सभा की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा शुक्रवार, 23 सितम्बर को शेयर धारित करते हैं, वे अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पास्वर्ड का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा सभा की सूचना में वर्णित विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 (9.00 बजे पूर्वा) में शुरू होगी तथा गुरुवार, 29 सितम्बर, 2022 (5.00 बजे अप) (दोनों दिवस सहित) तक जारी रहेगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जाएगी। स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षक करने के लिये कम्पनी ने श्री अमित गुप्ता, कार्यरत कम्पनी सचिव, लखनऊ को पर्यवेक्षण नियुक्त किया है। यदि सदस्यों को एजीएम में उपस्थित होने एवं ई-वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग करने से संबंधित कोई प्रश्न अथवा समस्या हो तो वे सहायता खंड के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (''FAQs'') तथा ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें अथवा टोल फ्री नम्बर 1800225533 पर संपर्क करें।

बोर्ड के आदेश से
पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
(प्रगति गुप्ता अगरवाल)
कम्पनी सचिव

स्थान : लखनऊ
तिथि : 9.9.2022

पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

POONAWALLA HOUSING FINANCE
Apna Ghar, Apni Pehchan

(पूर्व का मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठा तल, जीरो वन आईटी पार्क, क्रम सं. 79/1,
घोरपड़ी, मुंधवा रोड, पुणे-411036
शाखा कार्या.: प्रथम तल, प्लॉट नं. 122/728 एवं 729, शास्त्री नगर,
कानपुर (निकट चेन फैक्ट्री चौराहा) पिन-208005

ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद 'अधिनियम' वर्णित) के अंतर्गत प्रतिभूत अचल परिसम्पत्ति की बिक्री

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लि. अब निगमन के प्रमाणपत्र के माध्यम से पूनावाला हाउसिंग फाइनांस लि. के पास गिरवी नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका अधिनियम की धारा 13(4)/धारा 14 के अंतर्गत कम्पनी के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया था, की लागू ब्याज, चार्जेज तथा खर्चे आदि के साथ कम्पनी के बकाये की वसूली के लिये नीचे वर्णित शर्तों के अनुसार ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी।

सम्पत्ति की बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियम (यहां के बाद नियमों वर्णित) के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत 'जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा उपचार-रहित आधार' पर होगी। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.poonawallahousing.com देखें।

प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम (A)	मांग सूचना की तिथि तथा बकाया राशि (B)	कब्जे की प्रकृति (C)	सम्पत्ति का विवरण (D)	आरक्षित मूल्य (E)	ईएमडी (आरपी का 10%) (F)	ईएमडी जमा करने की तिथि (G)	संविदा वृद्धि (H)	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय (I)	नीलामी की तिथि एवं समय (J)	ज्ञात ऋण भार/कोर्ट के मामले, यदि कोई हो, (K)
ऋण सं. HM/0045/H/16/100189 **जावेद आलम (कर्जदार)** **रहेबा जावेद, एफएचअशीन वियर गारमेंट्स (सह-कर्जदार)**	सूचना तिथि : 15.09.2021 कुल बकाया : 15.09.2021 तक बकाया देय रु. 25,32,358/- (रुपये पच्चीस लाख बत्तीस हजार तीन सौ अट्ठावन मात्र) तथा वसूली तक 13.30% वार्षिक की दर से ब्याज	भौतिक	बंधक मकान प्लॉट नं. 32 एवं 33 पर निर्मित का समस्त भाग, अराजी नं. 57, कटरी पीपरखेड़ा, उन्नाव, कानपुर, पिन-209861	रु. 30,94,875/- (रुपये तीस लाख चौरानबे हजार आठ सौ पिचहत्तर मात्र)	रु. 3,09,487/- (रुपये तीन लाख नौ हजार चार सौ सत्तासी मात्र)	13.10.2022 5 बजे अप से पूर्व	10,000/-	07.10.2022 (11 बजे पूर्वा-4 बजे अप.)	14.10.2022 (11 बजे पूर्वा-2 बजे अप.)	निल

अधिक विवरण एवं पूछताछ के लिए कृपया श्री इकबाल आलम (मोबाइल नं. 9958195453) पर सम्पर्क करें।''

इच्छुक बोलीदाताओं से आग्रह है कि शाखा में जाकर नीलामी की संपत्ति निरीक्षण करें तथा प्रभारों, अधिभारों की जानकारी प्राप्त करें। क्रेता अपने स्वयं की पूछताछ करें तथा अतिरिक्त प्रभारों, अधिभारों तथा सभी दृष्टियों पर किसी भी तृतीय पार्टी के हितों की जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। सभी सांविधिक बकाए जैसे संपत्ति कर, बिजली बकाये तथा संपत्ति से जुड़ी अन्य बकाए, यदि कोई हो, का भुगतान सफल बोलीदाता/संभावित क्रेता को ही करना होगा। उनके स्वयं के हित में बोलीदाता/संभावित क्रेताओं से अनुरोध है कि अपनी बोली जमा करने से पूर्व उपरोक्त के संदर्भ में तथा संपत्ति से संबंधित अन्य विवरणों के विषय अपने स्वयं के हित में जांच करके संतुष्ट हो लें।

इच्छुक बोलीदाताओं को अग्रिम में पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा तथा लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जिसे नीलामी सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पता : तीसरी मंजिल, गुरुग्राम, हरियाणा-122003, हेल्पलाइन नम्बर : 7291981124, 25, 26, सपोर्ट ई-मेल आईडी : Support@bankeauctions.com सम्पर्क व्यक्ति : विनोद चौहान, ई-मेल आईडी : delhi@dindia.com, सम्पर्क नं. 9813887931 से अनिवार्य है। कृपया ध्यान रहे कि संभावित बोलीदाता केवल उन्हीं से ही ई-नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को 13.10.2022 को या इससे पूर्व ''पूनावाला हाउसिंग फाइनांस लि.'', बैंक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खाता नं. 000651000460 तथा आईएफएससी कोड: ICIC0000006, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001 की खाता में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) की राशि जमा करना होगा तथा https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा सेवा प्रदाता से निशुल्क यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करना होगा तथा ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को अधोलिखित दस्तावेजों प्रतियों को अपलोड, ईमेल करना होगा तथा स्वप्रमाणित हार्ड कॉपी पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लि. के अधिकृत प्राधिकारी के पास भेजना होगाः श्री शरीफ अहमद, पता- 5वीं मंजिल, हलवासिया कॉमर्स हाउस, 11 एम.जी. रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001, मोबाइल नंबर : +91 8840784993, ई-मेल आईडी : sharif.ahmad@poonawallahousing.com.

स्थानः कानपुर (उ.प्र.)
तिथिः 08.09.2022

प्राधिकृत अधिकारी
पूनावाला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड
(पूर्व की मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड)

आइडियल कार्पेट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः राज नगर, जी.टी. रोड गोपीगंज भदोही संत रवि दास नगर यूपी 221401 भारत
ईमेलः idealcarpets@gamil.com, दूरभाषः 05414-232250, सीआईएनः L17226UP1991PLC131444

एजीएम की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स आइडियल कॉर्पेट्स लिमिटेड के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को मध्याह्न 11.30 बजे एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों के लेन-देन के लिए आयोजित की जायेगी।

प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ उक्त सूचना बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण सहित सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर 08.09.2022 को भेज दी गई है और यह कंपनी की वेबसाइट http://idealcarpet.co/ पर भी उपलब्ध है और एजीएम की सूचना सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.cdslindia.com पर भी उपलब्ध है।

ई-वोटिंगः

कंपनी ने रिमोट ई-वोट सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') के साथ एक व्यवस्थागत अनुबंध किया है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और उनके अंतर्गत दी गयी नियमावली के अनुसार विवरण यहां नीचे दिये गये हैं:

(1) सूचनायें भेजने की समापन तिथिः 08.09.2022
(2) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान प्रारंभ करने की तिथि एवं समयः मंगलवार 27 सितंबर 2022 प्रातः 10.00 बजे।
(3) इलेक्ट्रॉनि माध्यमों से मतदान समापन की तिथि एवं समयः बृहस्पतिवार 29 सितंबर 2022 को सायं 05.00 बजे।
(4) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की अनुमति बृहस्पतिवार 29 सितंबर 2022 को सायं 5.00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी।
(5) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 23 सितंबर 2022 है।
(6) सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें बैठक में पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(7) जिन व्यक्तियों का नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपाजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ आम बैठक में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
(8) सदस्य ध्यान दें किः क) रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिए उक्त तिथि और समय के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा; ख) सदस्यगण, जो 31वीं एजीएम में भागीदारी कर रहे हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला था, वे 31वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डालने के अधिकारी होंगे।
(9) कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और सूचना प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितंबर 2022 के अनुसार शेयर धारण करता है, वह वयक्ति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर या जारीकर्ता/आरटीए को एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
(10) 31वीं एजीएम की सूचना, कंपनी की वेबसाइट http://idealcarpet.co/ और www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।
(11) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अनुदेशों के लिए, शेयरधारक 31वीं एजीएम की सूचना में दिये गये अनुदेश देख/पढ़ सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न/शिकायत की स्थिति में, शेयरधारक www.evotingindia.com पर सहायता अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 022-23058542/43 पर कॉल कर सकते हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना(यें)/दस्तावेज(जों)/वार्षिक रिपोर्ट(टों) को सुविधाजनक ढंग से व तीव्रतापूर्वक प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए अपने ई-मेल पते उपलब्ध कराने/अद्यतन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के रिकॉर्ड को अद्यतन करने का अनुरोध, कंपनी या आरटीए को भेजा जाना चाहिए और यदि सदस्यों के पास डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर हैं तो अनुरोध डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को भेजा जाना चाहिए।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के अनुपालन में आगे सूचित किया जाता है कि सदस्यों का रजिस्टर तथा कंपनी की अंशांतरण बहियां शुक्रवार 23 सितंबर 2022 से लेकर के शुक्रवार 30 सितंबर 2022 (दोनों दिवस/तिथियां सम्मिलित) तक वित्तीय वर्ष 2021-22 की एजीएम के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

मैसर्स आइडियल कार्पेट्स लिमिटेड
हस्ता./-
श्रीराम मौर्य
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएनः 01100295

स्थानः भदोही
दिनांकः 09.09.2022